न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 13/2016

प्रार्थी
रमेशचन्द
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
उ.प.रेल्वे जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मुकेश पुत्र श्री चम्पालाल सेल्समेन ऑफ M/s Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee) मैसर्स भावेश जसवानी (Sub-Licensee) प्लेट फॉर्म संख्या 01 रेल्वे स्टेशन बाड़मेर घर का पता अम्बर सिनेमा के पास वाली गली बाड़मेर राजस्थान पिन–344001
2. भावेश जसवानी पुत्र श्री वासुदेव जसवानी (Sub- Licensee) प्लेट फॉर्म संख्या 01 रेल्वे स्टेशन बाड़मेर घर का पता– 944 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23 जोधपुर राजस्थान पिन–342008
3. मुकेश माथुर ब्रान्च मैनेजर M/s Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee) 44 ऐ केशव पथ सुरज नगर (W) सिविल लाइन्स जयपुर राजस्थान
4. नरेश शाह Dy.Manager Nominee) Amulfed (A Unit of GCMMF Ltd.) प्लॉट संख्या 35, इन्द्रा ब्रीज के पास अहमदाबाद, गांधी नगर हाईवे गांव भाट पिन 382428 गांधी नगर गुजरात
5. हरेन्द्र सिंह राठौड़ ब्रांच मैनेजर Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. C/O Shah Padam Chand Mutha & Company E-376. MIA Basni Second phase jodhpur-342005
6. महावीर चन्द पुत्र श्री मेवाराम (Distriduter) Minaxi Agency Near Thar Gass Agency Barmer rajasthan 324 जैन नोहरे की गली, धनी बाजार, बाड़मेर राजस्थान
7. Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. C/O Shah Padam

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Chand Mutha & Company E-376. MIA Basni Second phase jodhpur-342005

8. Amulfed Dairy (A Unit of GCMMF Ltd.) प्लॉट संख्या 35 इन्द्रा ब्रीज के पास अंहमदाबाद, गांधी नगर हाईवे गांव भाट पिन-382428 गांधी नगर गुजरात

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः-1. श्री रमेशचन्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेल्वे जोधपुर।
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।
3. श्री जसवन्त बोहरा एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 2 से 5 एवं 7 से 8 एक तरफा।

<u>निर्णय</u>

दिनांक **27.02.2018**

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.10.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.पं. रेल्वे जोधपुर के सांयकाल 9.15 बजे **M/s Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. (Licensee)** एवं मैसर्स भावेश जसवानी (**Sub- Licensee**) **Milk stall** प्लेट फॉर्म संख्या 01 रेल्वे स्टेशन बाड़मेर के निरीक्षण करने हेतु पहुंचा। उक्त **Milk stall** मैसर्स भावेश जसवानी पुत्र वासुदेव जसवानी (**Sub- Licensee**) के नाम से आवंटित है। मिल्क स्टॉल पर श्री मुकेश पुत्र श्री चम्पालाल सेल्समेन के रूप में यात्रियो के लिए **Milk & Milk product Amul Brand Vanilla Icecrime** आदि विक्रय कर रहा था। उक्त मिल्क स्टॉल का निरीक्षण करने पर वनीला रॉयल आईसक्रीम 28 कप पैक्ड अवस्था में डी फ्रिज में विक्रय करने हेतु पाई गई। वनीला रॉयल आईसक्रीम **Amul Brand** में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को रूपये 280 नगद भुगतान कर 28 वनीला रॉयल आईस्क्रीम कप **Amul Brand** (प्रत्येक कप में से 40 ग्राम) जांच हेतु खरीदी। खरीदसुदा वनीला रॉयल आईस्क्रीम को 7-7 कप वनीला आइस्क्रीम खोल कर मिक्स कर खाली सुखी फूड ग्रेड की चार बोतलो में बराबर डाल कर प्रत्येक बोतल में 7 कप अर्थात 280 एम.एल. 36 एम.एल. परिरक्षक फार्मलिन डालकर स्टोपर से बंद किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक खाद्य नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो के साथ अमूल ब्राण्ड के खाली पेपर कवर को बोतलो के साथ लगाया जाकर प्रत्येक बोतल पर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एवं खाद्य पदार्थ नमूना भागो पर डी.ओ. के कोड एवं सीरियल संख्या एन.डब्ल्यू.आर. 161 विवरण दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर स्वयं, सेल्समेन मुकेश एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूनो को अलग–अलग खाकी कागज के रैपर में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. /एलडब्ल्यूआर/जयपुर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप संख्या आरडब्ल्यूआर 161 अंकित कर चारो भागो को नियमानुसार अपने कब्जे में लिया। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गई। फार्म नम्बर 06 की आठ प्रतियां तैयार की गयी। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध विश्लेषक जोधपुर राजस्थान को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अभिहित अधिकारी उ.प.रेल्वे जयपुर के पत्रांक एफएसएसए/161/जेपी दिनांक 28.1.2.2015 एवं एफएसएसए/161/जेपी दिनांक 11.01.2016 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक एलएस/825/एक्ट/2015/834 दिनांक 5.11.2015 अनुसार नमूना एन.डब्ल्यू.आर.161 Sub-Standard पाया गया। प्रकरण में Sub-Standard खाद्य पदार्थ वनीला रॉयल आईस्क्रीम Amul Brand का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी,उ.प.रेल्वे जोधपुर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प.रेल्वे जोधपुर ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना एन. डब्ल्यू.आर. 161 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व 7 से 8 के अधिवक्ता द्वारा कोई निर्देश नहीं होना बताये जाने पर इन्हें पुनः नोटिस जरिये रजिस्ट्रर्ड जारी किये गये। रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण 2 से 5 व 7 से 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर से जैसा माल प्राप्त हुआ, हमारे द्वारा उसे वैसा ही बेचा गया। इसमें किसी प्रकार की मिलावट हमारे

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

द्वारा नहीं की गई है। इस हेतु गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। प्रकरण में राहत प्रदान कराते हुए, माफी दी जायें। अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उसका जवाब बन्द किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 06 के अधिवक्ता का तर्क हैं कि वनीला आइस्क्रीम अमूल ब्राण्ड उनके द्वारा तैयार नहीं की जाती हैं। यह आईस्क्रीम Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. द्वारा तैयार की जाकर आगे डिस्ट्रीब्यूटरो को विक्रय हेतु दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आगे रिटलर को बेचने हेतु सप्लाई की जाती है। रिटलर एवं सेल्समेन स्तर पर आईस्क्रीम में किसी प्रकार की मिलावट नही की गई। वनीला आइस्क्रीम अमूल ब्राण्ड का सेम्पल फेल होने पर इसकी समस्त जिम्मेवारी Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. की ही है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 06 को आरोप से मुक्त करावें।
5. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प. रेल्वे जोधपुर का तर्क हैं कि दिनांक 22.10.2015 को मैसर्स भावेश जसवानी (Sub- Licensee) की मिल्क स्टॉल से वनीला रॉयल आईस्क्रीम Amul Brand का भरा गया नमूना एनडब्ल्यूआर 161 खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच में मिल्क फेट 3.50 प्रतिशत पाया गया, जो तयसुदा मानक से काफी कम होने के कारण अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया। जिसके कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण पर अधिक से अधिक जुर्माना आरोपित किया जाए।
6. हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ.प. रेल्वे जोधपुर व अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा अप्रार्थीगण संख्या 06 के वकील की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट संख्या एलएस/825/एक्ट/2015/824 दिनांक 5.11.2015 के अनुसार नमूना एन.डब्ल्यू. आर.161 अवमानक स्तर (Sub Standard) पाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 2.1.7.1 के अन्तर्गत अवमानक स्तर वाला खाद्य पदार्थ (Sub Standard) बनाने एवं बेचने के लिए Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. दोषी है, जिसके लिए इस पर जुर्माना आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थीगण Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. द्वारा वनीला रॉयल आईस्क्रीम Amul Brand विक्रय करके खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर (Sub Standard) खाद्य प्रदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. पर 25000/– अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी Gujrat C0-operative Milk Marketing Federation Ltd. उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.2.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर